Asian Culture
B.A. Semester II
Paper I : South Asia (1870-1919)

Department of Western History
University of Lucknow

*(Course Instructor: **Prof. Abha Trivedi**)*

The Development of Education in India (1870-1919) :

Hunter Commission (1882-1883) :

- During the tenure of Lord Ripon, Hunter Commission was appointed to enquire into the execution of Wood's Despatch of 1854.
- This Commission was appointed on 3 february 1882 under the chairmanship of William Wilson Hunter. This commission had 22 members.
- The Commission passed nearly 200 proposals after surveying different regions of India. In October 1882, the Commission gave 36 recommendations.
- On Primary level, it was recommended that education should be given in Local languages for convenience of Common people. Private help was welcomed but Primary education was mandatory even without it. The control of these institutions was handed to Local Authorities.
- Secondary education had two aspects- First, Academic Education, for preparing students for entrance examination of Universities. Second, Technical Education, for preparing students for Employment.
- Women Education was one of the main agenda of the reform.
- "Payment by Results" was introduced and at least one model school had to be established in each province.
- Education based on Religious fanaticism was discouraged.
- Punjab University was established in October 1882 and Allahabad university in September 1887.
- The recommendations of this commission was gravely criticized by Sir Alfred Lyall, Lt. governor of North-West Provinces.

The Indian University Commission, 1904 :

- Lord Curzon called for a conference to look upon the matters of Higher education, in Shimla, 1901.
- In this conference, nearly 150 proposals were passed and a commission had to be appointed in 1902.
- Sir Thomas Raleigh was the chairperson of this Commission. The objective of this commission was to take an estimate of the condition of Universities in India and then give Recommendations.
- This commission only dealt with the matters related to Universities. Primary and Secondary education were out of its priorities.
- The University Act was passed in 1904. The main objective was to put the command of Universities under Government's control. Official interference was increased into Universities' matters.
- It was recommended that Professors and fellows should be appointed. Laboratories and Libraries were encouraged.
- The number of fellows in University should be at least 50 and 100 at most. These fellows must have been nominated by the Government. Maximum 20 members were to be nominated in Presidency Universities, viz, Calcutta, Bombay and Madras. In other Universities, maximum 15 fellows must have been nominated.
- The Senate was privileged with the Veto right in matters of Universities.
- The terms and conditions of affiliation to Universities were made more difficult. Governor General/Viceroy had the Supreme authority among all the Officials.

Sadler University Commission (1917-1919) :

- This commission was appointed under the Chairmanship of Michael Ernest Sadler, Vice-Chancellor of Leeds University. The objective of this commission was to improvise the conditions of Calcutta University.
- Zia-Ud-Din Ahmad and Sir Ashutosh Mukerjee were among the members of the Commission.
- The commission submitted the reports in 1919. It consists of 13 Volumes.
- The School-education was to be of 12 years. The students could only apply after passing the Intermediate examination.
- For the Graduation degree, students had to attend a Three-year education course. Honours Curriculum was different from the regular Graduate programme.
- Unitary-Residential teaching and Autonomous institutions were introduced. Dhaka University was established to share the workload of Calcutta University.
- Banaras, Dhaka, Aligarh and Lucknow Universities were established between 1916 and 1921.

भारत में शिक्षा का विकास (1870-1919):

हंटर कमीशन (1882-1883):

- लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान, हंटर कमीशन को 1854 की वुड के डिस्पैच के निष्पादन के बारे में पूछताछ करने के लिए नियुक्त किया गया था।
- यह आयोग विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को नियुक्त किया गया था। इस आयोग में 22 सदस्य थे।
- आयोग ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के बाद लगभग 200 प्रस्ताव पारित किए। अक्टूबर 1882 में, आयोग ने 36 सिफारिशें दीं।
- प्राथमिक स्तर पर, यह सिफारिश की गई थी कि आम लोगों की सुविधा के लिए स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए। निजी मदद का स्वागत किया गया, लेकिन प्राथमिक शिक्षा इसके बिना भी अनिवार्य थी। इन संस्थानों का नियंत्रण स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया गया था।
- विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के दो पहलू थे- पहला, अकादमिक शिक्षा। रोजगार के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए दूसरा, तकनीकी शिक्षा।
- महिला शिक्षा सुधार का मुख्य एजेंडा था।
- "भुगतान द्वारा परिणाम" पेश किया गया था और प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक मॉडल स्कूल स्थापित किया जाना था।
- धार्मिक कट्टरता पर आधारित शिक्षा को हतोत्साहित किया गया।
- पंजाब विश्वविद्यालय अक्टूबर 1882 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय सितंबर 1887 में स्थापित किया गया था।
- इस आयोग की सिफारिशों की उत्तर-पश्चिम प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर अल्फ्रेड लयाल ने काफी आलोचना की थी।

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, 1904:

- लॉर्ड कर्जन ने 1901 में शिमला में उच्च शिक्षा के मामलों को देखने के लिए एक सम्मेलन बुलाया।
- इस सम्मेलन में, लगभग 150 प्रस्तावों को पारित किया गया था और 1902 में एक आयोग नियुक्त किया जाना था।
- सर थॉमस रैले इस आयोग के अध्यक्ष थे। इस आयोग का उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना और फिर सिफारिशें देना था।
- यह आयोग केवल विश्वविद्यालयों से संबंधित मामलों से निपटता है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अपनी प्राथमिकताओं से बाहर थी।

- विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों की कमान सरकार के नियंत्रण में रखना था। आधिकारिक हस्तक्षेप को विश्वविद्यालयों के मामलों में बढ़ा दिया गया था।

- यह सिफारिश की गई थी कि प्रोफेसरों और साथियों को नियुक्त किया जाए। प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों को प्रोत्साहित किया गया।

- विश्वविद्यालय में अध्येताओं की संख्या कम से कम 50 और अधिकतम 100 होनी चाहिए। इन साथियों को सरकार द्वारा नामित किया गया होगा। अधिकतम 20 सदस्यों को प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालयों, अर्थात, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में नामांकित किया जाना था। अन्य विश्वविद्यालयों में, अधिकतम 15 साथियों को नामित किया जाना चाहिए था।

- सीनेट को विश्वविद्यालयों के मामलों में वीटो अधिकार प्राप्त था।

- विश्वविद्यालयों से संबद्धता के नियमों और शर्तों को और अधिक कठिन बना दिया गया था। गवर्नर जनरल / वाइसराय का सभी अधिकारियों के बीच सर्वोच्च अधिकार था।

सैडलर विश्वविद्यालय आयोग (1917-1919):

- इस आयोग की नियुक्ति लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति माइकल अर्नेस्ट सदलर की अध्यक्षता में की गई थी।

- इस आयोग का उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थितियों को सुधारना था।

- ज़िया-उद-दीन अहमद और सर आशुतोष मुखर्जी आयोग के सदस्यों में से थे।

- आयोग ने 1919 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें 13 खंड हैं।

- स्कूल-शिक्षा 12 वर्ष की होनी थी। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद ही छात्र आवेदन कर सकते थे।

- ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए, छात्रों को तीन वर्षीय शिक्षा पाठ्यक्रम में भाग लेना होता था। ऑनर्स पाठ्यक्रम नियमित स्नातक कार्यक्रम से अलग था।

- एकात्मक-आवासीय शिक्षण और स्वायत्त संस्थानों की शुरुआत की गई। ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्यभार को साझा करने के लिए की गई थी।

- बनारस, ढाका, अलीगढ़ और लखनऊ विश्वविद्यालय 1916 और 1921 के बीच स्थापित किए गए थे।